



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 30.08.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना पलिया पुलिस द्वारा, 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त आदेश कुमार को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.08.2022 को थाना पलिया पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त आदेश कुमार पुत्र रामस्वरूप निवीसी मो० रंगरेजान प्रथम थाना पलिया जनपद खीरी को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना पलिया पर मु०अ०सं० 506/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आदेश कुमार पुत्र रामस्वरूप निवीसी मो० रंगरेजान प्रथम थाना पलिया जनपद खीरी

बरामदगी-

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० जगेन्द्र सिंह, थाना पलिया
2. उ०नि० तेजसिंह
3. उ०नि० अजीतकुमारमिश्रा
4. हे०का० कृष्णकुमार
5. का० राजीवसिंह
6. का० जोनीकुमार
7. का० रामदयाल
8. का० संदीपचौधरी
9. का० ओमअसीमयादव

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, 04 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त रियाज पुत्र रहीश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.08.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रियाज पुत्र रहीश निवासी ग्रा0 चिकवनपुरवा थाना ईसानगर जनपद खीरी को 04 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गोपाल पुरवा गोशाला तिराहे के पास से गिरफ्तार करके थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 461/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

रियाज पुत्र रहीश निवासी ग्रा0 चिकवनपुरवा थाना ईसानगर जनपद खीरी

बरामदगी -

04 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

01. उ0नि0 शिवा जी दुबे (प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खमरिया) थाना ईसानगर
02. हे0का0 रामसुख पाण्डेय
03. का0 मनोज कुमार
04. का0 गौरव मिश्रा
05. का0 प्रदीप कुमार

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 840 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त शिवा कुमार को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.08.2022 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवा पुत्र स्व० अशोक निवासी सासिया कालोनी थाना मैलानी जनपद खीरी को 840 ग्राम अवैध गांजे के साथ बहद ग्राम सुरजनपुर नं० 5 से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मैलानी पर मु०अ०सं० 350/2022 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शिवा कुमार पुत्र स्व० अशोक निवासी सासिया कालोनी थाना मैलानी जनपद खीरी

बरामदगी:-

840 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 386/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मैलानी, खीरी
2. मु०अ०सं० 349/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मैलानी, खीरी
3. मु०अ०सं० 240/2018 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा०द०वि० थाना मैलानी, खीरी
4. मु०अ०सं० 241/2019 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना मैलानी, खीरी
5. मु०अ०सं० 167/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा०द०वि० थाना मैलानी, खीरी
6. मु०अ०सं० NIL/2020 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना मैलानी, खीरी
7. मु०अ०सं० NIL/2020 धारा 110 जी० दं०प्र०सं० थाना मैलानी, खीरी
8. मु०अ०सं० 132/2021 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना मैलानी, खीरी
9. मु०अ०सं० 133/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मैलानी, खीरी
10. मु०अ०सं० 174/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मैलानी, खीरी
11. मु०अ०सं० 494/2021 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना मैलानी, खीरी
12. मु०अ०सं० 74/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मैलानी, खीरी
13. मु०अ०सं० 350/2022 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना मैलानी, खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० कौशल किशोर
2. उ०नि० राहुल कुमार
3. का० जितेन्द्र कुमार वर्मा
4. का० सचिन द्वितीय
5. का० रोबिन सिंह
6. का० जितेन्द्र कुमार चौरसिया

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त मधुराम पुत्र चन्नू को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.08.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अभियुक्त मधुराम पुत्र चन्नू निवासी ग्राम कैमाखादर थाना फरधान जनपद खीरी को लालाकुआ से टीकरपुर मार्ग पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना फरधान पर मु0अ0सं0 388/22 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मधुराम पुत्र चन्नू निवासी ग्राम कैमाखादर थाना फरधान जनपद खीरी

बरामदगी-

700 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मो0 मुश्ताक
2. का0 अनुपम पाण्डेय
3. का0 अरुण कुमार
4. का0 धर्मेन्द्र सिंह

थाना नीमगांव पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा, 530 ग्राम अफीम, 01 अदद पोको चिटबन्दशुदा व 01 अदद टीवीएस मोटरसाईकिल बरामद करके 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.08.2022 को थाना नीमगांव पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त सत्येन्द्र कश्यप पुत्र सन्तराम निवासी मो० वहेटी कस्बा लहरपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को 530 ग्राम अफीम, 01 अदद पोको चिटबन्दशुदा व 01 अदद टीवीएस मोटरसाईकिल बरामद करके शिवाला तिराहा हनुमान मन्दिर के पास वहद ग्राम लालहनपुर से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नीमगांव पर मु०अ०सं० 304/2022 धारा 8/18 एन०डी०पी०एस० एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सत्येन्द्र कश्यप पुत्र सन्तराम निवासी मो० वहेटी कस्बा लहरपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर

बरामदगी-

530 ग्राम अफीम
01 अदद पोको चिटबन्दशुदा
01 अदद टीवीएस मोटरसाईकिल

आपराधिक इतिहास -

मु०अ०सं० 304/22 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० सुनील कुमार सिंह (चौकी प्रभारी सिकन्द्राबाद) थाना नीमगांव
2. उ०नि० जय प्रकाश यादव प्रभारी क्राइम ब्रांच
3. हे०का० संजय सिंह थाना नीमगांव जनपद खीरी
4. का० कन्हैया तेजयान थाना नीमगांव जनपद खीरी
5. का० देवेन्द्र कुमार क्राइम ब्रांच
6. का० शिवओम क्राइम ब्रांच
7. का० सिकन्दर क्राइम ब्रांच
8. का० ललित कुमार क्राइम ब्रांच

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, 02 नफर वांछित अभियुक्तों को 01 अदद बांका, 02 अदद छुरी व 03 अदद नायलान रस्सी बरामद करके गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.08.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तों सोमीन व हारून को उमरपुर गांव के पास से गिरफ्तार कर किया। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद बांका, 02 अदद छुरी व 02 अदद नायलान रस्सी बरामद कर अभियुक्तों की निशादेही पर गौवंश के अवशेष बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0स0 305/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत करके अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

सोमीन पुत्र जियाउल्ला नि0ग्राम रायपुर घुंसी थाना नीमगांव जनपद खीरी
हारून पुत्र सद्दीक नि0ग्राम रायपुर घुंसी थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद बांका
02 अदद छुरी
03 अदद नायलान रस्सी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोमीन -

मु0अ0सं0 269/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 174/19 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 283/19 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 226/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 261/20 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 290/22 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 359/20 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 360/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 18/22 धारा 2(b)xv/3यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 40/22 धारा धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 18/22 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 302/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
मु0अ0सं0 305/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हारून

1. मु0अ0सं0 302/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी
2. मु0अ0सं0 305/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 कृष्ण चन्द्र तिवारी, थाना नीमगांव
2. उ0नि0 बुद्धराज सिंह
3. का0 अंकित कुमार
4. का0 संजय यादव
5. का0 सुमित जैनर
6. का0 कोशिन्दर कुमार
7. का0 जतिन कुमार
8. का0 प्रदीप कुमार
9. का0 मनीष कुमार
10. म0का0 मीना

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, गैरइरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त देवमणी मौर्य को आलाकल्ल लकड़ी के डन्डे सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.08.2022 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा गैरइरादतन हत्या से संबंधित मु0अ0सं0 373/22 धारा 304 भादवि0 में वांछित अभियुक्त देवमणी मौर्या पुत्र रामवचन मौर्या निवासी रमगड़ा थाना मुगरा बादशाहनगर जनपद जौनपुर हाल पता बालाजी मंदिर महेशपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी को आलाकल्ल 01 अदद लकड़ी के डन्डे सहित गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि बीती रात महेश पुर मोड़ के पास स्थित बालाजी मंदिर के पुजारी देवमणी मौर्य उपरोक्त ने 01 अज्ञात व्यक्ति को चोर समझकर डन्डे से मारा पीटा था जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

देवमणी मौर्या पुत्र रामवचन मौर्या निवासी रमगड़ा थाना मुगरा बादशाहनगर जनपद जौनपुर हाल पता बालाजी मंदिर महेशपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद आलाकल्ल लकड़ी का डन्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. नि0 अपराध शिशि शेखर यादव, थाना हैदराबाद
2. उ0नि0 दुर्वेश गंगवार
3. हे0का0 अरुण रावक
4. का0 ललित कुमार

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, पत्नी की नाक काटने के वांछित अभियुक्त संजय पुत्र बालकराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 30.08.22 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा पत्नी की नाक काटने से संबंधित मु0अ0सं0 374/22 धारा 326 भादवि0 में वांछित अभियुक्त संजय पुत्र बालकराम निवासी ग्राम रतसिया थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

संजय पुत्र बालकराम निवासी ग्राम रतसिया थाना फरधान जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 कुलदीप सिंह, थाना हैदराबाद
- 2.हे0का0 रामसिंह, थाना हैदराबाद
- 3.का0 रवि खुराना, थाना हैदराबाद

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलायें जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 720 रू० बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 630/22 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 581/22 धारा 147/148/149/323/326/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. दिनेश चन्द पुत्र शत्रोहन, 2. सुधीर पुत्र अशोक, 3. रिशीकान्त पुत्र रामसेवक सर्व निवासी गण मुड़ाधागू थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अ०सं० 3685/17 धारा 147/148/323/427/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्तगण 1. लालराम पुत्र पैकरमा, 2. राजेश पुत्र श्यामकिशोर निवासीगण मिदनिया थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अ०सं० 661/11 धारा 302 भादवि में वारण्टी अभियुक्त रामस्वरूप पुत्र रामभरोसे निवासी समेसा थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अ०सं० 1029/22 धारा 8/21 NDPS Act में वारण्टी अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र हीनजा निवासी सुरजनपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फरधान पुलिस द्वारा अ०सं० 1121/18 धारा 394/411 भादवि में वारण्टी अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र सुन्दर निवासी सासिया कालोनी थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 441 लीटर अवैध शराब बरामद कर 28 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **441 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **05 शराब भट्टी** बरामद कर **28 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **27 अभियोग** पंजीकृत किए गए।